

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-674 / 2012

संस्थित दिनांक-24.08.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

सुभाष यादव पिता फूलसिंह यादव, उम्र-45 वर्ष,
निवासी-वार्ड नं.17, जेल रोड डोंगरगढ़,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-11/05/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177 व 130(3)/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-25.02.2012 को दोपहर करीब 3-4 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत, बन्डू चौक मॉयल अस्पताल के सामने ग्राम सोनपुरी में लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी. 50/बी.ए.-3069 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक यशवन्त पाण्डे की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है तथा लायसेंस तथा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी त्रिलोकचंद पाण्डे ने अपनी पत्नी ज्योति व चाचा हीरामन के साथ पुलिस चौकी उकवा में आकर मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक-25.02.2012 को दोपहर के 3-4 बजे वह अपने पिता यशवन्त पाण्डे के साथ उकवा आया था, तभी बन्डू चौक उकवा में बैहर तरफ से एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर एम.पी.50/बी.ए.-3069 था, के चालक द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके पिताजी को टक्कर मार दी, जिससे उसके पिताजी वहीं सड़क पर गिर गए। उसने मोटरसाइकिल वाले को रोककर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुभाष यादव बताया, जिसे उसने थाने चलने को

कहा तो वह वहां से भाग गया। वह अपने पिताजी का ईलाज करने इधर-उधर गया, तब तक उसके पिताजी की मौत हो गई थी। उसने उक्त घटना की जानकारी अपने घरवालों और गांव में बताई। उक्त घटना कि रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में आरोपी सुभाष यादव के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/12, धारा-304 ए भा.द.वि. के तहत दर्ज की गई। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना रुपझर भेजा था, जिसका असल क्रमांक-20/12 है। मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक-0/2011, धारा-174 द.प्र.सं के तहत लेख की गई थी, जिसका असल क्रमांक-4/12 लेख करते हुये नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। उक्त मर्ग की जांच पर थाना रुपझर में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-20/2012, धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया तथा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया। आरोपी द्वारा मौके पर वाहन के दस्तावेज पुलिस के मांग किये जाने पर पेश न करने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177 व 130(3)/177 का ईजाफा किया गया तथा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177 व 130(3)/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-25.02.2012 को दोपहर करीब 3-4 बजे, थाना रुपझर अंतर्गत, बन्डू चौक मॉयल अस्पताल के सामने ग्राम सोनपुरी में

लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए. 3069 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक यशवंत पाण्डे की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर लायसेंस तथा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— त्रिलोकचंद (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि मृतक यशवंत पाण्डे उसके पिताजी थे। वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना 25 फरवरी 2012 की है। घटना के समय वह बालाघाट में था। उसे फोन से मित्र मनोज नेवारे ने बताया था कि उसके पिता का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है। उसने गाडी का नंबर एम.पी-50/3069 बताया था। उसे पता लगा था कि सुभाष यादव नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था। उक्त दुर्घटना के समय उसके पिताजी किनारे पर थे। मोटरसाइकिल से धक्का लगने से उसके पिताजी गिर गए थे, उक्त बात उसे पता लगी थी। घटना कि रिपोर्ट उसने चौकी उकवा में की थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा एवं नक्शापंचायतनामा क्रमशः प्रदर्श पी-1 व 2 पुलिस ने उसके समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपने पिता की मृत्यु के संबंध में सूचना पुलिस को दिया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना दिनांक को उसके पिताजी के साथ उकवा आ रहा था, तो रास्ते में मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए-3069 के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके पिता यशवन्त पाण्डे को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त मोटरसाइकिल के चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुभाष यादव बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी से राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी

ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना कैसे घटित हुई, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मात्र इस तथ्य का समर्थन किया है कि दुर्घटना के कारण उसके पिता यशवन्त की मृत्यु हो गई थी, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— गुलशन (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है तथा घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय उसे घटनास्थल पर सड़क किनारे बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ मिला था, जिसने मोटरसाइकिल चालक के द्वारा ठोस मारकर भाग जाना बताया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-7 से इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— अशोक कटरे (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे त्रिलोक पाण्डे ने बताया था कि उसके पिता यशवन्त का मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई थी, जिसकी मृत्यु जांच के पंचायतनामा के समक्ष वह उपस्थित था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन करते हुए समर्थनकारी साक्ष्य पेश की हैं। इस साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— सुजीत कुमार (अ.सा.5), सवनबाई (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उन्हें दूसरों से दुर्घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी तथा उन्होंने मौके पर जाकर देखा था तो मृतक यशवन्त की लाश पड़ी हुई थी। उक्त साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में कथन न करते हुए मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में यह तथ्य प्रकट किया है कि वे दूसरों के बताए अनुसार उक्त दुर्घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचे थे। इन साक्षीगण के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— रामप्रसाद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता तथा दुर्घटना किस वाहन से हुई थी, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी

ने मृतक यशवन्त के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट किया है। इस साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

11— डाक्टर वासु क्षत्रिय (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-26.02.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लामता में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना रूपझर के आरक्षक शिवप्रसाद द्वारा मृतक यशवन्त पाण्डे का शव का परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने मृतक के शव परीक्षण में बाहरी चोटें एवं आंतरिक परीक्षण में खोपड़ी में अस्थिभंग व मस्तिष्क में रक्तस्राव पाया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु कोमा, सबड्यूरल, हिमेटोमा की वजह से हुई थी। मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय मृतक यशवन्त की दुर्घटना के कारण आई चोट से मृत्यु कारित होने की पुष्टि की है।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मिर्जा आशिफ बेग (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.02.12 को चौकी उकवा में चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी त्रिलोक पाण्डे की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/12, धारा-304 ए भा.द.वि. के तहत आरोपी सुभाष यादव के विरुद्ध लेख किया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिसकी असल लेख क्रमांक-20/12, धारा-304 ए के तहत प्रधान आरक्षक चित्रराज बागडे के द्वारा लेख किया गया, जो प्रदर्श पी-9 है, जिस पर चित्रराज बागडे के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। दिनांक-26.02.12 को मृतक यशवन्त पाण्डे का पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-1 एवं 2 पंचो के समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल का नजरीनक्शा त्रिलोकचंद की निशानदेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि मृतक की मर्ग इंटिमेशन क्रमांक-0/11, धारा-174 द.प्र.सं. के तहत जो प्रदर्श पी-5 है, जो उसके द्वारा लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मर्ग क्रमांक को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिसका मर्ग क्रमांक-4/12, जो प्रदर्श पी-10 है, जिसे प्रधान आरक्षक चित्रराज बागड़े के द्वारा लेख किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक चित्रराज बागड़े के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। दिनांक-26.02.12 को प्रार्थी त्रिलोकचंद, साक्षी रामप्रसाद, अशोक, सुजीत एवं दिनांक-27.02.12 को गुलशन एवं दिनांक-28.02.12 को सतनबाई, ज्योति दिनांक-26.02.12 को मृतक यशवन्त पाण्डे का बिसरा जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 के अनुसार आरक्षक शिवपाल से साक्षियों के समक्ष उसके अधिनस्थ प्रधान आरक्षक दुर्गा प्रसाद भगत के द्वारा जप्त किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक दुर्गा प्रसाद भगत के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। दिनांक-27.02.12 को आरोपी सुभाष यादव को उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.ए-3069 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-12 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। दिनांक-26.02.12 को मृतक यशवन्त पाण्डे के शव को परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल परसवाड़ा भेजा था। जप्तशुदा मृतक के बिसरा को परीक्षण हेतु फॉरेन्सिक लेब सागर भेजा गया था, जिसकी प्राप्ति पावती चालान के साथ संलग्न किया था। दिनांक-16.08.12 को आरोपी सुभाष यादव को साक्षियों के समक्ष मोटरसाइकिल से संबंधित गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं उसका ड्राइविंग लायसेंस जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-14 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

14— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल का चालन करने से भी इंकार किया है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से अथवा खतरनाक तरीके से चलाए जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। वास्तव में आरोपी को घटना के समय कथित मोटरसाइकिल चालन करते हुए नहीं देखा गया है और न ही आरोपी द्वारा कथित दुर्घटना कारित करने का किसी साक्षी ने समर्थन किया है। आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। ऐसी दशा में आरोपी ने मात्र वाहन जप्ती की कार्यवाही के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसने कथित दुर्घटना कारित वाहन के दस्तावेजों को पुलिस अधिकारी के द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि जप्ती अधिकारी के अनुसार जप्तशुदा वाहन के दस्तावेजों की जप्ती बनाई गई है। इस कारण अभियोजन का मामला आरोपी के विरुद्ध संदेहास्पद हो जाता है।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए.-3069 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक यशवंत पाण्डे की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने कथित घटना के समय पर पुलिस अधिकारी के द्वारा लायसेंस तथा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177 व 130(3)/177 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए. 3069 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार भरत अजीत पिता स्वरूपलाल अजीत निवासी-ग्राम परसवाड़ा,

थाना व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, जो अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)